

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST
PARYAVARAN BHAWAN,
C.G.O. COMPLEX
LODHI ROAD, NEW DELHI-110005.

No.8-10/94-F.C.

Dated 14.10.1996

To,

The Secretary (Forests),
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Sub: Renewal of lease over 38.259 ha. Of forest land for laying of 132 KV Transmission Line in favour of Renusagar Power Company Ltd. in Sonbhadra District.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.69007/14-2-93-145(233)/64 dated 23.12.93 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980,

After careful consideration of the proposal of the State Government, the Central Government, hereby, conveys its approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, for renewal of lease for a period of 25 years over 38.259 ha. of forest land for laying of 132 KV Transmission Line in favour of Renusagar Power Company Ltd. in Sonbhadra District, subject to the following conditions:

- (i) The legal status of forest land will remain unchanged.
- (ii) The maximum width of right of way for the transmission line on forest land will be 27 mtr.
- (iii) Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
- (iv) Minimum clearance between conductors and trees shall be maintained at 4 mtrs.
- (v) Any other condition that the State Government may impose.

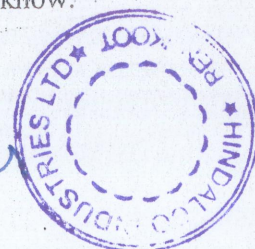
Yours faithfully,

Sd.

A.N. SHARAN
ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS

Copy to:

- 1- Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow;
- 2- Nodal Officer, Office of PCCF, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow
- 3- The CCF (Central), Regional Office, Lucknow



16/2/18

प्रेषक,

बी.पी.एल. मूल्यक
विशेष अधिकारी
उ.प्र. व. वि. वि.

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
वन उपयोग वृत्त
उ.प्र. व. वि. वि.

वन अनुभाग-2

विषय:-

जनपद सोनभद्र में रेसुसागर बाघर कम्पनी लिमिटेड को 132 के.वी.
विद्युत परियोजना लाइन के निर्माण एवं संयोजन हेतु स्तान्तीरित 38.2591
हे. आरक्षित वनभूमि के पट्टे का 25 वर्षी के लिए नवीनीकरण किया
जाना।

दिनांक: 22 मई, 1998.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1215/11-सी-76 दिनांक 25-10-1993
तथा पत्रांक 1198/11-सी-76 दिनांक 19 मार्च 1996 के संबंध में
मुझे यह पत्र लिखने का निदेश हुआ है कि श्री राजमात जनपद सोनभद्र में रेसुसागर बाघर
कम्पनी लिमिटेड को 132 के.वी. विद्युत परियोजना लाइन के निर्माण एवं संयोजन
हेतु शासन द्वारा संख्या: 8445/11-सी-76 दिनांक 9-2-1966 द्वारा
25 वर्षी के लिए पट्टे पर स्तान्तीरित की गयी 38.2591 हे. आरक्षित वनभूमि,
जिसकी अवधि 8-2-1991 को समाप्त हो चुकी है, के पट्टे का नवीनीकरण को
9-2-1991 से अगले 25 वर्षी के लिए किया जाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
भारत सरकार के पत्रांक 8-10-94-एफ.सी. दिनांक 14-10-96 द्वारा प्रस्तुत प्रतीत
अनुमति व निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- वनभूमि के लीज नवीनीकरण किये जाने के बाद भी इसकी वैधानिक
स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा यह पूर्ण तौर पर वन-
भूमि बनी रहेगी।
- 2- वनभूमि पर दायराधीन लाइन की राइट आफ़ के अतिक्रमण की दूरी
27 मी. होगी।
- 3- विद्युत परियोजना को रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वृक्षों का
पातल/काटकरा दिया जाना अनिवार्य की अनुमति है जो कि
जायेगा। दायराधीन लाइन के स्तान्तीरित हेतु एक सार्वजनिक विद्यापीठ को

[Signature]
16/2/10



चुल्क की अंतरालीय लेखा कीर्षक "0070-अन्य प्रशासनित सेवाओं-01-
न्याय प्रशासन-801-सेवाओं और सेवा कीर्त-01- की नयी सेवाओं के
लिए भुगतानों की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा करने वाली
चालानों की प्रीत मस्टाफिसेज के अखिब के साथ एक माह के भीतर
उपलब्ध कराया जायेगा।

यह अधिसूचित विभाग के अधिनियम संख्या: 867/दत्त-99 दिनांक
5-98 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

नमो दे,

जी०के० पञ्जाब
विशेष सचिव।

संख्या: 198/11/4-2-97-उक्त दिनांक।

प्रतिनिधि निम्न लिखित को सुनार्थ एवं आपसक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1- तत्पद, भारत सरकार, पय विरम एवं वन सेवा, पय विरम भवन

2- सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली।

3- महालेखाकार पयम, "उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4- जिलाधिकारी सोनभद्र।

5- वन संरक्षक, विभाग वृक्ष जंगल जंगल जंगल।

6- प्रभागीय वन अधिकारी रेनूकट वन प्रभाग रेनूकट।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

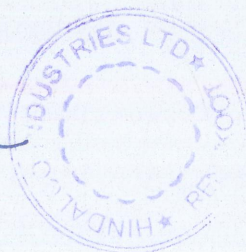
8- सीनियर वाइस प्रेजिडेंट डिप्टि लम्बो इन्डस्ट्रीज लि, 23 गिधान तथा
मार्ग, लुधियाना।

9- महा प्रबन्धक, मे० डिप्टि लम्बो इन्डस्ट्रीज रेनूकट।

आज्ञा है,

पदा संवर
विशेष सचिव।

16/2/18



पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जायेगा।

4- कन्सर्वा व वृक्षों के बीच न्यूनतम बरौघरेंस 4 मीटर बनाये रानी जायेगी।

5- ट्रांसमीशन लाइन एवं टावर्स की नवीनतम ऊँचाई कम से कम इतनी हो कि उससे चन्दा जन्तुओं को कार्य क्षति न पहुँचे।

6- कम्पनी द्वारा प्रभावगत वनभूमि के क्षेत्र में कोई निगमि कार्य नहीं कराया जायेगा।

7- कम्पनी के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या अन्य कोई स्थित किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगे और यदि उनके द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचाई जाती है तो इसके लिए प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिफल उक्त इकाई द्वारा देय होगा।

8- प्रभावगत वनभूमि कम्पनी के उपयोग में पट्टा नवीनीकरण की अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक याचक को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि इकाई को उक्त वन भूमि अथवा उसकी किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथा स्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो याचक के लिये आवश्यक न रहे वन विभाग को बिना किसी प्रतिफल का भुगतान किये वापस हो जायेगी।

9- वन विभाग अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे लीज पर दिये गये भूखण्ड में प्रवेश करने व निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

10- वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि नहीं पहुँचायेगे।

11- रेगुलर पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रभावगत वनभूमि के पट्टे का लीज रेंट उक्त वनभूमि का वर्तमान बाजार मूल्य के समतुल्य प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट की दर से निश्चित रूप से भुगतान किया जायेगा। वनभूमि का वर्तमान बाजार मूल्य जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित किया जाय।

12- रेगुलर पावर कम्पनी लिमिटेड द्वारा लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव विवेक के विहीन रूप से न्याय विभाग द्वारा निर्धारित विहीन


16/10

